

परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2017

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 4-ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इस विभाग की, समय-समय पर यथा संशोधित, अधिसूचना संख्यांक एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/22सी दिनांक 14.7.2014 में इसके द्वारा, तुरंत प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

- (i) सारणी के क्रम संख्यांक 2 के सामने स्तम्भ संख्यांक 2 में, विद्यमान खण्ड (ख) और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित नया खण्ड (ग) और उसकी प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात् :-

(ग) ड्राईवर को छोड़कर 12 से अधिक और ड्राईवर और कण्डक्टर को छोड़कर 20 तक सीट क्षमता वाले मोटर यान (संविदा गाड़ी परमिट और पर्यटक परमिट)	
(i) चैसिस के रूप में क्रय किया गया	चैसिस की लागत का 35 प्रतिशत
(ii) सम्पूर्ण बॉडी के साथ क्रय किया गया	यान की लागत का 26 प्रतिशत

- (ii) स्पष्टीकरण के विद्यमान खण्ड "1." के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"1. नये यान/चैसिस की दशा में, किसी विनिर्माता या व्यवहारी द्वारा किसी प्रोत्साहन स्कीम के अधीन या अन्यथा कीमत में दिये गये किसी डिस्काउण्ट, रिबेट या रियायत को अपवर्जित करते हुए, समस्त करें और उद्ग्रहणों को सम्मिलित करते हुए क्रय बिल में यथा दर्शित एक्स-शोरूम कीमत होगी।"

[एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/22ई]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. मनीषा अरोड़ा,
संयुक्त शासन सचिव

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2017

In exercise of the powers conferred by section 4-C of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), the State Government hereby, with effect from 01.04.2017, makes the following amendments in this department's notification number F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/22C dated 14-07-2014, as amended from time to time, namely:-

AMENDMENTS

In the said notification,-


- (i) in column 2 against serial number 2 of table, after the existing clause (b) and entries thereto, the following new clause (c) and entries thereto shall be added, namely:-

(c) Motor Vehicle having seating capacity more than 12 excluding driver and upto 20 excluding driver and conductor (contract carriage permit and tourist permit)	
(i) Purchased as a chassis	35% of the cost of chassis
(ii) Purchased with a complete body	26% of the cost of vehicle

- (ii) the existing clause I of the explanation shall be substituted by the following, namely:-

"I. In case of new vehicle/chassis, shall be the ex-showroom price inclusive of all taxes and levies as shown in the purchase bill excluding any discount, rebate or concession in price given under any promotional scheme or otherwise by any manufacturer or dealer."

[F.6(179)Pari/Tax/Hqrs/95/22E]
By Order of the Governor,


(Dr. Manisha Arora)
Joint Secretary to the Government